प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि० की
उप-विधियाँ

1. झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट 6 सन् 1935 ई० के अर्न्तगत निबन्धित यह समिति ....प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति, सीमित कहलाएगी।

2. इस समिति का निबन्धित कार्यालय..में रहेगा जिसका निम्नलिखित तथा होगाः-

   गांव.................................पो०....................................थाना...

   थाना न० .... प्रखण्ड..

   सबडिवीजन.. जिला...

   समिति के मुख्यालय की जगह या पता बदलने पर उसकी सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, को-ऑपरेटिव फेडरेशन, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ, झारखण्ड सहकारी हस्तकरघा बुनकर संघ और कर्जा देने वाली संस्थाओं को 15 दिनों के अन्दर में देना होगा।

3. **समिति का कार्य क्षेत्र-** समिति का कार्य क्षेत्र..गाँव में रहेगा

4. **समिति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगेः-**

   (1) समिति के सदस्यों द्वारा कपड़ा तैयार करवाना और उन कपड़ो की बिक्री का प्रबन्ध करना,

   (2) **कच्चा माल-** सूत, रंग, करघा, राछ इत्यादि का प्रबन्ध करना।

   (3) सदस्यों की प्राचीन दस्तकारी और कारीगरी को पुनजीर्वित करने; अथवा कायम रखने तथा उन्नति करने में सहायता पहुँचाना।

   (4) ऊपर लिखे कार्यों के लिए सदस्यों को कर्ज देने तथा वसूली का प्रबन्ध करना।

   (5) समिति और सदस्यों के लाभ के लिए थोक और खुदरा व्यापार करना।

   (6) सदस्यों के बीच सहयोग, किफायत सस्ती, कम खर्चा, अपने आपको सहायता करने तथा मिलजुल कर काम करने की भावना को बढ़ाना।

   (7) सदस्यों की माली हालत, शिक्षा प्रचारण और रहन-सहन की उन्नति के लिए सहायता करना।

(8) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूत्ति, से सम्बन्धित सभी कार्यों को करना।

5. **अधिकृत हिस्सा पूंजी-** समिति की अधिकृत हिस्सा पूंजी 50 हजार रुपयें की होगी जो 100 ₹ के 500 हिस्सा पत्रों में होगी।

6. **निधि-** अपने कारबार के लिए समिति निम्न तरीके से निधि इकट्ठा कर सकेगी

(1) हिस्सा जारी करके,

(2) सहायता एवं अन्य शुल्कों से,

(3) सदस्यों से एवं निबन्धक, सहयोग समितियों की अनुमति से गैर-सदस्यों से जमा लेकर।

(4) राज्य सरकारी एवं राष्ट्रीयकृत अधिकोष, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय बुनकर संघों से ऋण लेकर तथा निबन्धक सहयोग समितियाँ के पूर्वादेश से अन्य फाइनेन्सीयल संस्थाओं से ऋण लेकर।

(5) सरकार तथा अन्य श्रोतों से अनुदान/दान लेकर,

(6) कच्चा सूत उधार खरीदकर।

7. **ऋण लेने की अधिकतम सीमा-** समिति के ऋण लेने की अधिकतम सीमा समिति के अदा किए गए हिस्सा पूँजी जोड़ संचित निधि से संचित घाटे की राशि घटाकर जो राशि होगी, से 10 गुना से अधिक नहीं होगी।

8. **इन्भेस्टमेंट-** समिति अपने निधि को निम्न प्रकार से इन्भेस्ट कर सकेगी।

(1) सहकारिता अधिकोषों में तथा निबन्धक की पूर्वानुमति से अन्य अधिकोषों में।

(2) इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 को धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित ऋण पत्रों या राष्ट्रीय बचत पत्रों में।

(3) क्षेत्रीय बुनकर, संघ, राज्य स्तरीय बुनकर संघ, केन्द्रीय अधिकोष एवं निबन्धक को पूर्वानुमति से अन्य सहकारी संस्थाओं तथा मदों में।

(4) निबन्धक की पूर्वानुमति से उपर लिखे मदो, से या अन्य प्रकार से।

9. **सदस्यों का दायित्व-**(1) सदस्यों की दायित्व समिति के कर्जे के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण और अन्य पावना तक सीमित रहेगा। समिति के दायित्व के सम्बन्ध में सदस्यों का दायित्व उनके हिस्सा पूंजी के मूल्य तक सीमित रहेगा।

(2) किसी सदस्य को समिति से कच्चे सूत अथवा कर्ज या दोनों उसके खरीदें हुए हिस्सें की कीमत के दूने से अधिक नहीं मिलगी।

10. सदस्यता- निम्नलिखित व्यक्ति या संख्या के सदस्य हो सकते हैः

(1) ऐसे व्यक्ति जो समिति के कार्य क्षेत्र में रहते हो तथा जो कपड़ा बुनाने का पेशा करते हो और कम-से-कम एक निबन्धित करघा रखते हो तथा उनकी उम्र कम-से-कम 18 वर्ष हो।

(2) राज्य सरकार या फाईनेन्सींग अधिकोष।

(3) निबन्धक की पर्वानुमति से अन्य सस्ता जो कपड़ा रंगाई का काम करते हो।

11. सदस्य- (1) जो व्यक्ति उपविधि 10 को योग्यता रखते हों तथा उन्होंने निबधन के आवेदन-पत्र मे हस्ताक्षर किया हो या निबधन होने के बाद जो आवेदन करते हों और कम-से-कम एक हिस्सा पूंजी खरीदते हो समिति के सदस्य होंगे। प्रवेश शुल्क 10.00 (दस) रु० होगा जो प्रत्येक सदस्य देंगे।

(2) प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित फार्म में प्रबन्ध समिति के सम्मुख सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे। प्रबन्ध समिति उनके आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है।

(3) कोई सदस्य प्रबन्ध समिति की अनुमति से एक वर्ष की अवधि के बाद समिति से हट सकता है। लेकिन जब तक वह समिति का कुल पावना भुगतान न कर दे। ऐसी अनुमति नहीं दी जायगी।

12. सदस्यता की समाप्ति- नीचे लिखें कारणों से सदस्यता समाप्त होगीः

(1) सदस्यता से निकाल दिये जाने पर,

(2) दिवालिया हो जाने से,

(3) पागल हो जाने से,

(4) सदस्यता से त्याग-पत्र देने पर अगर उनका त्याग-पत्र प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत किया गया हो,

(5) समिति के कार्य क्षेत्र से सदा के लिए बाहर चले जाने पर,

(6) मर जाने पर,

(7) कोई सदस्य उस हालत में सदस्य नहीं रहेगा, जब वह इस नियमवाली के अनुसार अपनी कुल हिस्सा पूंजी हस्तान्तरित कर देंगे अथवा वापस कर लेंगे,

(8) स्थायी तौर पर कपड़ा बुनने का कार्य छोड़ने पर।

13. सदस्य का निष्कासन-

(1) प्रबन्धक समिति खुली जांच क बाद नीचे लिखे कारणें से किसी सदस्य को जुर्माना कर सकती है या उसके साथ कुछ दिनों के लिए व्यापार बन्द कर सकती है अथवा निम्नलिखित हालतों में उसे सदस्यता से निकाल दे सकती है-

(i) समिति की नियमवली और कानून का उाल्लंघन किया हो,

(ii) अगर नोटिस दिये जाने के बाद भी समिति का पावना अदा नहीं किया हों,

(iii) समिति ऐसा समझती हो कि उसके सदस्य बने रहने से समिति को माली साख कमजोर हो जायगी अथवा समिति के नाम पर धब्बा लगेगा,

(2) ऐसे सभी मामलों के आदेश वार्षिक आम-सभा के समक्ष रखे जायेंगे और आम सभा का आदेश अन्तिम होगा।

(3) जब तक किसी सदस्य का कारोबार समिति के साथ बन्द रहे तब तक उनके द्वारा तैयार किये हुए माल पर बोनस या उनके हिस्सा पर मुनाफा नहीं दिया जायेगा।

(4) सदस्यता की समाप्ति पर समिति को हिस्सा पूँजी की रकम पावना काटकर दे दी जायेगी पर सदस्य सदस्यता से हटने के दो वर्ष तक समिति दायित्व के लिए उत्तरदायी होंगे।

14. हिस्सा- (i) एक हिस्सा की कीमत 100 रु० होगी।

(ii) प्रत्येक सदस्य को कम-से-कम एक हिस्सा पूंजी खरीदनी होगी।

(iii) राज्य सरकार को छोड़कर कोई सदस्य हिस्सा निधि के पंचमांश से अधिक राशि की हिस्सा पूँजी नहीं खरीद सकता है।

(iv) कोई सदस्य हिस्सा या हिस्सों को साल भर अपने नाम में रखने के बाद किसी दूसरे सदस्य को कार्यकारिणी समिति की मंजूरी से दे सकता है या बेच सकता है। इस तरह की तबदीली या बिक्री तब तक जायज नहीं होगी जब तक कि उस आदमी का नाम हिस्सों की बही में दर्ज न हो जाय और उसने प्रबन्ध समिति द्वारा तय किय हुए फीस नहीं दिया हो।

(v) हिस्सा लेने वाले समिति की मोहर लगी एक सर्टिफिकेट पाने का हक होगा जिसमें उसके खरीदे हुए हिस्सों का विवरण लिखा रहेगा। अगर ऐसे सर्टिफिकेट खो जाय या फट जाय तो एक रुपया फीस देने पर फिर से शेयर सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है।

(vi) समिति का कोई सदस्य किसी व्यक्ति को अपना नौमनी लिखकर नामजद कर सकता है, लेकिन वह समिति का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। ऐसे नामजद वारिस को उस सदस्य के मरने के बाद उसका कुल हिस्सा मिल सकता है।

(vii) अगर कोई सदस्य किसी कारण से सदस्यता से हट जायें तो उसके खरीदे हुए हिस्सा को कीमत उनके किये समिति का जो कुछ पावना है उसको काटकर उनकी सदस्यता से हटने के 6 महीने के भीतर अदा कर दिया जायेगी।

(viii) किसी सदस्य के मरने पर उसके हिस्से को कीमत की रकम उसके नामजद किये हुए आदमी को अदा कर दिया जाएगा और ऐसे नामजद किये हुए कोई आदमी न हो तो उसके कानूनी वारिश को अदा कर दिया जायेगा।

(ix) किसी मरे हुए सदस्य का हिस्सा उसके कानूनी या नामजद वारिश के नाम में तबदील किया जा सकता है बशर्ते कि वे सदस्य होने के लायक हो और नियमानुसार सदस्य चुने गये हो।

आम सभा

15. समिति का सर्वोच्च अधिकार हिस्सेदारी की आम-सभा के हाथ में रहेगा। आम सभा निम्नलिखित तीन प्रकार की होगी-

(i) साधारण

(ii) असाधारण

(iii) विशेष

(i) साधारण आम सभा की बैठक सहकारिता वर्ष के समाप्ति होने के 6 माह के अन्दर बुलाई जायगी। यदि साधारण आम सभा की निश्चित तिथि के पहले स्टेटूटरी औडिट रिपोर्ट और बैलेंसशीट अंकेक्षक से प्राप्त नहीं हो तो मुनाफे का बँटवारा छोड़कर आम सभा अन्य सभी मामलों पर निर्णय करेगी। मुनाफे का वितरण औडिट रिपोर्ट के उपलब्ध होने के बाद एक असाधारण आम सभा में होगी जो इसी कार्य के लिए बुलाई जायगी। अगर यह सम्भव नहीं हो तो इस विषय पर अगले वर्ष की आम सभा में विचार किया जायेगा।

(ii) असाधारण आम सभा जब कभी कार्यकारणी समिति चाहे बुला सकती है या कुल सदस्य के एक-तिहाई व्यक्तियों द्वारा आग्रह करने पर पत्र मिलने की तारीख से एक महीने के अन्दर बुलाई जायगी।

(iii) विशेष सभा निबन्धक, सहयोग समितियाँ या ऐसे अधिकारी जिन्हें निबन्धक द्वारा यह अधिकार दिया गया है, के बुलाने पर होगी।

16. (i) हर एक सदस्य को चाहे उसके द्वारा खरीदे हुए हिस्सों की संख्या कुछ भी हो केवल एक वोट देने का अधिकार होगा। किसी दूसरे सदस्य के बदले कोई सदस्य वोट नहीं देगा। जब किसी विषय पर मत बराबर हो तो सभापति अपना वोट दे सकते है लकिन सभापति अगर सदस्य हो तो उन्हें सदस्य की हैसियत से भी एक वोट देने का अधिकार होगा। सभी बातों में सदस्यों का बहुमत मान्य होगा। मतदान हाथ उठाकर होगा। विशेष परिस्थिति में निबन्धक की पूर्वानुमति से गुप्त मतदान हो सकता है।

(ii) समिति के कुल सदस्यों को एक-तिहाई का कोरम होगा। यदि किसी विशेष आम सभा में जो कुल सदस्यों के तिहाई सदस्यों की दरखास्त पर बुलाई गयी हो और सदस्यों की उपस्थिति कोरम से कम हो तो सभापति उस सभा को समाप्त कर देंगे। अन्य प्रकार की आम सभाओं में कोरम की कमी होने पर सभापति सभा का स्थापित कर दें। स्थगित की हुई सभा का समय 7 दिनों से कम या 21 दिनों से ज्यादा नहीं होगा। स्थगित की हुई सभा में उन्हीं विषयों पर विचार होगा जिनपर पहली तारीख पर सभा में होने के लिए थे और कोई दूसरा काम नहीं किया जा सकता है।

(iii) साधारण आम सभा के लिए कम-से-कम 15 दिनों की सूचना आवश्यक होगी। असाधारण एवं विशेष आम सभा के लिए कम-से-कम 7 दिनों की स्पष्ट सूचना आवश्यक होगी। सूचना में बैठक का स्थान और समय स्पष्ट रुप से अंकित रहेगा।

(iv) आम सभा की बैठक के लिए एक कार्यवाही पुस्तिका रखी जायेगी जिसमें समिति के प्रबन्ध सह सचिव कार्यवाही अंकित करेंगे ओर सभापति उसे हस्ताक्षरित करेंगे।

(v) आम सभा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का हस्ताक्षर उपस्थिति पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।

17. वार्षिक आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे-

(i) सभा के लिए सभापति चुनना,

(ii) प्रबन्ध समिति के पेश किये हुए होते वर्ष के काम को रिपोर्ट और सालाना देन पावनें के चिट्ठों को सुनकर उस पर विचार करना,

(iii) अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा से निकाले जाने के मामले की अपील सुनना,

(iv) समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा और उसके पथ

प्रर्दशन के लिए आवश्यक हो तो निर्देश देना,

(v) मुनाफे की राशि निश्चित करना जो हिस्सेदार को दिया जायगा।

(vi) समिति किस हद तक और किस सूद की दर पर अगले वर्ष कर्ज दे या ले सकती है उसको निश्चित करना तथा जमा की गई राशि पर सूद की दर निश्चित करना,

(vii) प्रबन्ध समिति की अवधि समाप्त होने की तिथि से कार्य करने के लिए नये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चुनाव करना,

(viii) लाभांश के वितरण का निर्णय करना,

(ix) औडिट रिपोर्ट पर तथा निबन्धक से प्राप्त निर्देश पर विचार करना,

(x) अगले वर्ष के लिए विभिन्न सहकारी संस्थाओं के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करना,

(xi) अन्य सभी प्रमुख कार्य जो समिति के संचालन के लिए आवश्यक हो।

प्रबन्ध समिति

18. (i) समिति के संचालन का भार प्रबन्ध समिति में निहित होगा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबन्धक सह-सचिव को लेकर कुल 11 सदस्य होंगे। इन 11 सदस्य में से एक प्रबन्धक पदेन सचिव होंगे और शेष 10 पदों पर चुनाव होगा। आम सभा में यह चुनाव कार्य सम्पन्न होगा। पहले प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा और तब निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव होगा जिसमें सभी सदस्य वोट देंगे। प्रबंध समिति में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा, जिसमें एक पद अनुसूचित जाति की महिला एवं एक पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(ii) जहाँ प्रबन्धक का पदस्थापन निबन्धक या जिला सम्वर्ग समिति द्वारा नहीं किया गया हो वहाँ प्रबन्ध समिति अपने सदस्य को यह कार्यभार तबतक के लिए सौंपेगी जबतक कोई प्रबन्धक योगदान नहीं करते हैं।

(iii) प्रथम प्रबंध समिति का गठन सहायक निबन्धक, सहयोग समितियाँ द्वारा उस अवधि तक के लिए किया जायेगा जब तक आम सभा बुलाकर चुनाव सम्पन्न नहीं किया जाय। इस प्रकार नामकिंत प्रबन्ध समिति का कार्यकाल किसी भी हाल में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(iv) प्रबन्ध समिति की बैठक कम-से-कम तीन महीने में एक बार अवश्य होगी। इन बैठकों में 6 व्यक्तियों का कोरम होगा।

(v) कोई चुने हुए प्रतिनिधि अगर 4 बैठकों में बिना प्रबन्ध समिति की पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता स्वंय समाप्त हो जायगी।

(vi) अगर कोई सदस्य प्रबंध समिति से अपना त्याग-पत्र दे दे तो वह त्याग-प़त्र स्वीकृति तिथि से लागू होगा।

(vii) प्रबंध समिति के कार्यकाल की अवधि 3 सहकारिता वर्ष होगी और वे कार्यकाल समाप्त होने पर अगले चुनाव तक या 6 मास की अवधि तक जो कम हो, अपने पद पर रहेगें।

(viii) प्रबन्ध समिति के कार्यकाल में जो रिक्तियाँ होगी उन्हे प्रबन्ध समिति को स्वयं कर लेने का अधिकार होगा

19. **कार्यवाही वही-** प्रबन्धक समिति की कार्यवाही को अंकित करने के लिए एक कार्यवाही पुस्तिका प्रबन्धक सह सचिव द्वारा रखी जायगी। पुस्तिका प्रबन्धक सह सचिव एवं अध्यक्ष दोने द्वारा हस्ताक्षरित किया जायगा।

20. **प्रबन्ध समिति के कार्य-** नियम और आम सभा में पास हुए प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे।

(1) प्रबन्धक को छोड़कर शेष सभी वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरूद्ध अगर आवश्यता हो, तो अनुशासनिक कार्यवाई करना एवं दण्ड देना इत्यादि। अनुशासनिक कार्रवाई एवं उन पर आदेश निबन्धक सहयोग समितियाँ द्वारा सुनिक्षित निर्देश के अन्तर्गत होंगे।

(2) सूत एवं अन्य कच्चे माल की प्राप्ति के सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई कर उन्हें उपलब्ध करना और बुनकर सदस्यों के बीच बांटना।

(3) बुनकर सदस्यों से बनाये गए कपड़ों की बिक्री की व्यवस्था करना।

(4) अगले वर्ष के लिए बजट पास करना,

(5) तत्काल माल की बिक्री सम्बन्ध नहीं होने पर उन्हें भण्डारकरण की व्यवस्था करना और उस पर ऋण इत्यादि आवश्यतानुसार प्राप्त करना।

(6) कर्मचारी एवं सदस्यों के समय-समय पर सहकारिता एवं तमनीकी विषयों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(7) निबन्धक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत निर्देश के अन्तर्गत समिति के लिए ऋण प्राप्त करने की व्यवस्था करना।

(8) समिति के लिए निधि की व्यवस्था करना।

(9) समिति के अधिकारियो एवं कर्मचारियों का कार्य निश्चित करना,

(10) समय-समय पर स्टॉक रजिस्टर एव वास्तविक स्टॉक की जाँच करना।

(11) निबन्धक, सहयोग समितियों के आदेश के अनुसार दुकान के सभी चीजों को बेचने की दर ठीक करना और जरूरत के अनुसार दर घटाना या बढ़ाना।

(12) समिति के बने हूए माल को बेचने का प्रबन्ध करना।

(13) कानूनी कार्रवाई, पैरवी और सुलह इत्यादि करना।

(14) समिति का काम चलाने के लिए नियम बनाना जो इस नियमावली तथा 1935 के झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अर्न्तगत कानूनों के खिलाफ न हों। ऐसे नियम निबन्धक की स्वीकृति के पश्चात् ही लागू किए जायेगें।

(15) अन्य सभी कार्य करना जो समिति के समुचित संचालन एवं बाई-लॉज में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।

21. प्रबन्ध समिति की फैसले की अपील आम सभा में होगी जिसका फैसला अन्तिम होगा।

22. अध्यक्ष के निम्नलिखित कार्य होंगे-

(1) प्रबन्ध समिति को बैठक में सभापतित्व करना।

(2) समिति के कार्यकलापों पर आम तौर से निगरानी एवं नियंत्रण करना।

(3) प्रबन्धक सह-सचिव के माध्यम से आम सभा की बैठक बुलाना।

(4) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति के उपस्थित सदस्य उस बैठक की कार्यवाही के संचालन के लिए अपने बीच से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेंगे।

23. प्रबन्धक-सह-सचिव के अधिकार-

(1) प्रबन्धक सह-सचिव की नियुक्ति जिला सम्वर्ग के अनुसार होगी।

(2) प्रबन्ध समिति एवं अध्यक्ष के सामान्य निर्देश के अन्तर्गत प्रबन्धक-सह-सचिव के निम्नलिखित कार्य होंगे।

(i) समिति के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलाप का सम्पादन करना और कराना।

(ii) समिति के सभी कर्मचारियों एवं उनके कार्य पर नियंत्रण रखना।

(iii) लेखा-जोखा को सही स्थिति में रखना और उच्च अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के लिए उपस्थिति करना।

(iv) प्रबन्ध समिति के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यों को करना।

(अ) समिति की ओर से वस्तु के खरीद एवं बिक्री के सम्बन्ध में एग्रीमेन्ट बनाना और समिति के सम्बन्ध में हर प्रकार की मुकदमें में पैरवी करना।

(आ) समिति द्वारा स्वीकृति कन्टीजेन्ट व्यय करना।

(इ) आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाना।

(ई) प्रबन्ध समिति के द्वारा निश्चित सीमा के अन्तर्गत चेक पर हस्ताक्षर करना।

(v) समिति द्वारा निर्गत किए जाने वाले चेकों पर अध्यक्ष या अन्य अधिकृत सदस्य के साथ हस्ताक्षर करना।

(vi) प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करना।

(vii) अमानत या कर्ज वसूली के रुपये को रसीद देने और उसे समिति के लेखा बही में अंकित करना।

(viii) कच्चा सूत के बदले तैयार कपड़ा जो सदस्य समिति के दाखिल करेंगे उसका रसीद देना और सभापति की सहमति से उसका मूल्य निर्धारण करना। अगर प्रबन्धक की नजर में तैयार माल ठीक नहीं हो तो सभापति को सहमति से उसकी अस्वीकृति करना अथवा उस मूल्य में आनुपातिक कमी करना अथवा इस प्रकार से उसका मूल्य निर्धारण और विक्रय की व्यवस्था करना जिससे समिति को कोई हानि नहीं हो।

(ix) समिति के संचालन के अन्य सभी आवश्यक कार्य करना।

24. किसी माल के दाम या हालत के बारे में अथवा समिति के कर्मचारियों के सम्बन्ध में शिकायतें प्रबन्ध समिति में पेश की जायगी। प्रबन्ध समिति प्रबन्धक-सह-समिति को छोड़कर शेष व्यक्तियों को हर प्रकार की सजा दे सकती है।

25. हिसाब से ऑडिट-

समिति निम्नलिखित बही खाते रखेगी;

(1) सदस्य बही,

(2) हिस्सा बही,

(3) सभा बही,

(4) जमा खर्च बही,

(5) कच्चा माल और तैयार माल के लिए अलग-अलग स्टॉक बुक,

(6) साधारण एवं वैयक्तिक लेजर,

(7) नमूने की बही,

(8) ऑर्डर बही,

(9) रद्दी माल की बही,

(10) अन्य बहियाँ जो आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति सयम-समय पर निश्चित करें।

26. समिति का हिसाब हर साल 31 मार्च को बन्द किया जायगा।

मुनाफा

27. समिति का मुनाफा नीचे लिखे अनुसार आम-सभा द्वारा बाँटा जायगा;

(1) सैकड़ें 35 प्रतिशत सचिव निधि कोष (रिजर्व फण्ड) में रखा जायगा।

(2) सैकड़ें 10 प्रतिशत बुरे ऋण निधि में रखा जायगा।

(3) सैंकड़े 10 प्रतिशत आम भलाई अथवा भवन निधि में।

(4) हिस्सा-पूँजी पर डिविडेण्ड (मुनाफा) देना जिसकी अधिकतम सीमा 6 प्रतिशत होगी

(5) शेष राशि सदस्यों को बोनस के रूप में दिया जायगा।

संचित निधि रिजर्व फण्ड

28. संचित निधि निम्न प्रकार से बनेगीः-

(1) बाइलॉज नम्बर 27 में उल्लिखित 35 प्रतिशत मुनाफा,

(2) कोई राशि जो मुनाफा में से या दूसरे तहर से उसमें रखा जाय,

(3) समिति कयाम होने के समय का जरूरी खर्च काट कर भरती फीस;

(4) समिति जब्त किए हुए कुल हिस्सों के रूपये।

29. संचिव निधि समिति की संपत्ति होगी जिसे सदस्यों में बाँटी नहीं जायगी। संचित निधि निबन्धक, सहयोग समितियों की अनुमति से निम्नलिखित कार्यों में लगायी जा सकती है :

(1) समिति की कार्यशील पूँजी में,

(2) ऐसी आवश्यता को पूरा करने में जो दूसरी तरह से पूरी नहीं हो सकती है किन्तु जब अन्य व्यवस्था हो जायगी तो यह रकम संचित निधि में वापस कर दी जायगी।

(3) कर्जा लेने में जमानत के रूप में,

(4) समिति के टुटने की अवस्था में संचित निधि समिति के सदस्यों की आम-भलाई के काम में निबन्धक सहयोग समितियों के निर्देश के अनुसार खर्च की जायगी।

सभी विवाद।

30. समिति के कारबार सम्बन्धी सभी विवाद जो अन्य प्रकार से नहीं सुलझ सके निबन्धक सहयोग समितियां को समर्पित किये जायेंगे और उनके द्वारा या मनोनीत व्यक्ति के द्वारा दिया गया फैसला अन्तिम होगा।

समिति का टूटना ।

31. यदि आम-सभा में उपस्थित तीन-चौथाई सदस्य की राय समिति तोड़ देने की हो और वह आम सभा खास कर उसी क लिए बुलाई गई हो तो निबन्धक, सहयोग समितियाँ, कानून के अनुसार उसे भंग कर देने का आदेश देंगे।

विविध।

32. उन उप-विधियों का संशोधन आम सभा द्वारा बहुमत से किया जा सकता है। ये संशोधन निबन्धक द्वारा अनुबन्धित होने की तिथि से कार्य में आयेंगे।

33. समिति अपने औफिस में बिहार और उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट 6, सन् 1935 को एक प्रति उस कानून के अन्तर्गत बनायें कायदों की एक प्रति तथा इस नियमावली को एक प्रति रखेगी। इन सब किताबों की समिति के निबन्धित कार्यालयों में उचित समय पर कोई सदस्य बिना किसी शुल्क के देख सकता है।

34. जिस विषयों का इस नियमावली में समावेश नहीं हुआ है वे झारखण्ड को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट 6, सन् 1935 ई० (समय-समय पर किए गऐ संशोधनों के साथ) एव उनके अन्दर बहुत हुए कायदों के अनुसार तय किया जायगा। जिस नियमावली की चर्चा उपर की गयी है वह यही नियमावली है।

35. इस नियमावली के इन्टरप्रीटेशन के सम्बन्ध में कोई शंका होने पर उसे निबन्धक को भेजा जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होना।

क्रम संख्या — आवेदनकर्ताओं का हस्ताक्षर